प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 18.11.2023

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लागने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्दगर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्र0नि0 थाना रामगढ़ताल के कुशल नेतृत्व में, थाना स्थानीय कि पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0691/2023 धारा 376,406,504,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शत्रुमर्दन उर्फ विकाश पुत्र अमरजीत निवासी सोनबरसा राजधानी टोला थाना झगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त शत्रुमर्दन द्वारा वादिनी/पीड़िता को विश्वास में लेकर शादी का झासा देकर उनके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा वादिनी/पीड़िता द्वारा विश्वास करके अभियुक्त शत्रुमर्दन उपरोक्त को 10 लाख से भी अधिक रकम तथा बुलेट, लैपटाप, स्कूटी एप्पल का मोबाइल दिया गया था तथा अपने पैसो से अभियुक्त के लिए लाइब्रेरी खुलवाया गया था। अभियुक्त शत्रुमर्दन उपरोक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई वर्षो से शारिरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया तथा जब वादिनी/पीड़िता द्वारा शादी की बात की गयी तो गाली गलौज करते हुए शादी करने से मना कर दिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शत्रुमर्दन उर्फ विकाश पुत्र अमरजीत निवासी सोनबरसा राजधानी टोला थाना झगहा जनपद गोरखपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 -0691/2023 धारा 376,406,504,506 भादवि थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
2. व0उ0नि0 अंजनी कुमार यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

.